संख्या: 95/2016/1463/छप्पन-2016-95/2012

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 01 दिसम्बर, 2016

विषय: कै0 अमित कुमार भूटानी, पायलट (रोटर विंग) को मैसर्स हैट्स आफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलौर में बेल-412 हेलीकॉप्टर के सिमुलेटर पर क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग तथा इन्स्ट्रक्टर रिलीज चेक ट्रेनिंग सम्पादित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 79/ना0उ0नि0/आप्स-17/2016, दिनांक 25-10-2016 के संदर्भ में शासनादेश संख्या- 48/2016/697/छप्पन-2016-95/2012, दिनांक 16.6.2016 जिसके द्वारा कै0 अमित कुमार भूटानी, पायलट (रोटर विंग) को मैसर्स हैट्स आफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग प्रा0लि0, बैंगलौर में बेल-412 हेलीकॉप्टर के सिमुलेटर पर दिनांक 06.11.2016 से 11.11.2016 तक की तिथियों में क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग प्राप्त करने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कै0 अमित कुमार भूटानी को दिनांक 31.10.2016 से 04.11.2016 तक की नई तिथियों में बेल-412 हेलीकॉप्टर पर क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग प्राप्त करने के साथ-साथ इन्स्ट्रक्टर ट्रेनिंग के अन्तर्गत 30 मिनट का रिलीज चेक सम्पादित कराने की प्रशासकीय स्वीकृति तथा इस निमित्त रूपये 70,508.21 का भुगतान बिल बेसिस पर कराने हेतु रूपये 70,508.21 (रूपये सत्तर हजार पॉच सौ आठ एवं इक्कीस पैसे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति/प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध वही होंगी, जिनका उल्लेख पूर्व शासनादेश दिनांक 16 जून, 2016 में किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या 38 के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये प्राधिकार के परिप्रेक्ष्य में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या: 95/2016/1463(1)/छप्पन-2016- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0।
5- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- सचिव, भारत सरकार, नागर मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स मंत्रालय, नई दिल्ली।
8- सम्बन्धित अधिकारी।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।